न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 67/2023

एस.एफ.एम.जी. इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय— मेघ टॉवर, तृतीय तल, पुराना नं0 307, नया नं0 165, पूनामल्ली हाई रोड, मधुरावोयल, चेन्नई—600095 तमिलनाडु कॉर्पोरेट कार्यालय छठा तल, बी विंग, सुप्रीम आई.टी. पार्क, सुप्रीम सिटी, पवई, मुम्बई— 400076 क्षेत्रीय कार्यालय केसर मॉल, प्रथम तल, प्लॉट नं0 115—ए, अपैक्स मॉल के सामने, टोंक रोड, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी हीरा लाल सैनी

...प्रार्थी

बनाम

1. धनवंती देवी राजपूत, पत्नि हरि नारायण राजपूत, निवासी कर्णावत उधोग, लवाण, तूंगा जिला दौसा राजस्थान— 303304
2. कैलाश सिंह कर्णावत, निवासी कर्णावत उधोग, लवाण, तूंगा जिला दौसा राजस्थान— 303304

....ऋणी व सह ऋणी

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित : श्री बी0पी0 गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 06.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एस.एफ.एम.जी. इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड) ने अप्रार्थी/ ऋणी धनवंती देवी राजपूत पत्नि हरिनारायण राजपूत को 13,50,000/—(रूपये तेरह लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी एस.एफ.एम.जी. इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड) को सुना गया। हमने प्रार्थी एस.एफ.एम.जी. इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी एस.एफ. एम.जी. इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति पटटा नं0 36, ग्राम पंचायत लवाण पंचायत समिति दौसा जिला दौसा राज0 में कैलाश सिंह पुत्र धूलसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 781 वर्गगज है, जिसकी सीमाएं पूर्व में रोड, पश्चिम में 14.4 फीट का रोड, उत्तर में 3 फीट की गली उसके बाद फूलचन्द माली का मकान एवं दक्षिण में प्रभातीलाल जागा की भूमि स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एस.एफ. एम.जी. इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा